

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी:- डॉ० अरुण गर्ग
आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या:- 59/2026

टाइगर होम फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय- शिखर, मीठाखली सर्किल के पास, नवरंगपुरा, अहमदाबाद, गुजरात, पिन कोड 380009, कार्पोरेट कार्यालय- वन बीकेसी, सी विंग, 1004/5, 10वीं मंजिल, बांद्रा कुर्ला काम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुम्बई, पिन कोड 400051, महाराष्ट्र, क्षेत्रीय कार्यालय- दूसरा माला, महिमा ट्रिनिटी मॉल, गोवन्दिपुरी, जयपुर, राजस्थान पिन कोड 302019, जरिये प्राधिकृत अधिकारी रोहन बागडी।

— प्रार्थी बैंक

बनाम

1. श्री प्रकाश सैनी पुत्र श्री रामेश्वर लाल, पता कृष्ण मंदिर, मोडिया मोयाखेडा, मोया खेडा, झालावाड, राजस्थान पिन कोड 326502
2. श्रीमती सुगना देवी पत्नि श्री रामेश्वर लाल, पता वार्ड नं० 7, ढाणी भरगडान, खेतडी, झुंझुनूं, राजस्थान पिन कोड 333504

— अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अधारा 14 सिक्यूरिटाईजेशन एण्ड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एण्ड एनफोर्समेन्ट ऑफ सिक्यूरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002 जिसे एतद् पश्चात् एक्ट के नाम से संबोधित किया गया है। ऋणी/जमानतदार से बंधक सम्पत्ति का भौतिक कब्जा लेकर कम्पनी को दिलाये जाने के लिए।

उपस्थित:-

एडवोकेट श्री बाबूलाल मील- प्रार्थी कम्पनी की ओर से उपस्थित।

आदेश

दिनांक 16.03.2026


प्रार्थी टाइगर होम फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थी के द्वारा लोन बाबत प्रार्थना पत्र टाइगर होम फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में अदानी कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड) में प्रस्तुत करने पर ऋण खाता संख्या 803HLL001172249 ऋण राशि 20,00,000/- (अक्षरे रूपये बीस लाख मात्र) दिनांक 30.05.2024 को स्वीकृत की गई थी और राशि रूपये 20,00,000/- (अक्षरे बीस लाख मात्र) संवितरित की गई थी। उक्त ऋण सुविधा के एवज में उधारकर्ता ने अपनी सम्पत्ति को बंधक बनाने के लिए लोन एग्रीमेन्ट दिनांक 30.05.2024 को निष्पादित किया जिसमें आवासीय भूखण्ड संख्या 410, गांव गोठडा, तहसील खेतडी, जिला झुंझुनूं (राजस्थान) का हिस्सा है, क्षेत्रफल 1100.66 वर्ग गज/920.26 वर्ग मीटर जिसकी सीमाये इस प्रकार है:- पूर्व दिशा में गंगा राम की भूमि, पश्चिम दिशा में आम रास्ता, उत्तर दिशा में आम रास्ता, दक्षिण दिशा में गिफ्टर सम्पत्ति है, सम्पत्ति को बंधक बनाया गया। ऋण अदायगी हेतु गारन्टी के रूप में ऋणी ने आवश्यक दस्तावेजों को निष्पादन करके सम्पत्ति पर प्रतिभूति हित से सम्यबंधक किया है। अप्रार्थीगण ने कम्पनी के द्वारा प्रदत्त ऋण को ऋण अनुबंध दिनांक 30.05.2024 की शर्तों के अनुसार नहीं चुकाया परिणामस्वरूप उनके ऋण खातों को दिनांक 03.10.2025 को अक्रियान्वित आस्ति के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया। यह कि दिनांक 10.01.2026 तक अप्रार्थीगण के उक्त खाते 803HLL001172249 की कुल बकाया राशि 17,42,063/- (अक्षरे सत्रह लाख बियालीस हजार तिरैसठ रूपये अठहत्तर पैसे मात्र) निकलती है। उक्त खाते में बकाया ऋण राशि अप्रार्थीगण द्वारा नियमानुसार भुगतान ना करने पर एन०पी०ए० होने के बाद एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगण को नोटिस दिनांक 11.10.2025

जिला कलक्टर झुंझुनूं

रजिस्टर्ड पोस्ट दिनांक 13.10.2025 जरिये दिये गये थे तथा उक्त मांग नोटिस अप्रार्थीगण को दिनांक 21.10.2025 प्राप्त हो गया है। यह कि स्पीड पोस्ट के माध्यम से सरफेसी अधिनियम 2002 धारा 13(2) के तहत नोटिस देने के अलावा प्रार्थी कम्पनी ने दो स्थानीय समाचार पत्रों सीमा संदेश एवं दी इण्डियन एक्सप्रेस में दिनांक 28.10.2025 में प्रकाशन के माध्यम से सूचना प्रेषित की जा चुकी है। परन्तु नोटिस प्राप्ति के पश्चात् आज प्रार्थना पत्र दायरी तक अप्रार्थीगण द्वारा न तो सम्पूर्ण बकाया राशि जमा करवाई व न ही प्रतिभूति शुदा सम्पत्ति का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिया गया है। बैंक के प्राधिकृत अधिकारी ने मांग नोटिस दिनांक 11.10.2025 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अन्तर्गत मांग नोटिस भेज करके 60 दिवस में धन राशि रुपये 16,64,296.78/- (अक्षरे रुपये सोलह लाख चौसठ हजार दो सौ छियानवे एवं पैसा अठहत्तर मात्र) दिनांक 10.10.2025 तक एवं इस दिनांक के बाद की ब्याज व अतिरिक्त खर्च, लागत इत्यादि करने के लिए मांग की। नोटिस प्राप्ति के पश्चात् आज प्रार्थना पत्र दायरी तक अप्रार्थीगण द्वारा न तो सम्पूर्ण बकाया राशि जमा करवाई व न ही प्रतिभूति शुदा सम्पत्ति का भौतिक कब्जा प्रार्थी कम्पनी को दिया गया है। अप्रार्थीगण को उपोक्त नोटिस के अनुसार नोटिस की दिनांक से 60 दिवस के भीतर कम्पनी की बकाया राशि का भुगतान करना था परन्तु अप्रार्थीगण ने उपरोक्त नोटिस के अनुसार बकाया राशि जमा नहीं की है। परिणामस्वरूप ऋण की वसूली करने के लिए प्रतिभूति सम्पत्ति का भौतिक कब्जा लेना आवश्यक हो गया है। कम्पनी के पास प्रतिभूति सम्पत्ति का सम्पूर्ण विवरण निम्न प्रकार है— आवासीय भूखण्ड संख्या 410, गांव गोठडा, तहसील खेतडी, जिला झुंझुनूं (राजस्थान) का हिस्सा है, क्षेत्रफल 1100.66 वर्ग गज/920.26 वर्ग मीटर जिसकी सीमाये इस प्रकार है:— पूर्व दिशा में गंगा राम की भूमि, पश्चिम दिशा में आम रास्ता, उत्तर दिशा में आम रास्ता, दक्षिण दिशा में गिफ्टर सम्पत्ति है। उक्त एक्ट की धारा 14 अन्तर्गत बंधक सम्पत्ति का भौतिक कब्जा अप्रार्थीगण से लेकर प्रार्थी कम्पनी को सुपुर्द करने के लिए उपरोक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है। उक्त सम्पत्ति खेतडी पुलिस थाने में स्थित है। जो माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में स्थित होने से उक्त प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय श्रीमान् को सुनने व फैसले करने का श्रवणाधिकार व निर्णयाधिकार है। अतः प्रार्थी कम्पनी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर धारा 14 सिक्यूरिटीजेशन एण्ड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एण्ड एनफोर्समेन्ट ऑफ सिक्यूरिटी इंटेरेस्ट एक्ट 2002 के अनुसार प्रार्थना पत्र की मद संख्या 10 में वर्णित सम्पत्ति का भौतिक कब्जा अप्रार्थीगण से लेकर प्रार्थी कम्पनी को दिलाने की कृपा करे। अन्य कोई अनुतोष माननीय न्यायालय उचित समझे वह प्रार्थी को दिलवाया जावे।


बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुये तर्क प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी कम्पनी का ऋण नहीं चुकाया गया है। अप्रार्थी को प्रार्थी कम्पनी द्वारा नियमानुसार एन0पी0ए0 घोषित किया जा चुका है। प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी को प्रतिभूति सम्पत्ति का कब्जा दिलवाये जाने का निवेदन किया। अतः प्रार्थी का प्रार्थना स्वीकार कर उपरोक्त गिरवीकृत अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा कम्पनी को दिलवाया जावे जिससे अधिनियम के प्रावधानुसार सम्पत्ति को बेचकर बकाया ऋण की वसूली की जा सके।

हमने प्रार्थी टाइगर होम फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व इस प्रार्थना पत्र के साथ दस्तावेजात का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से यह जाहिर है कि अप्रार्थी अपने ऋण का भुगतान करने में असफल रहें है व प्रार्थी टाइगर होम फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा अप्रार्थी/गारन्टर को अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी टाइगर होम फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड की ऋण राशि का भुगतान नहीं किया गया है।


जिला कलक्टर झुंझुनूं

पत्रावली में शामिल दस्तावेजात के अवलोकन से जाहिर है कि अप्रार्थी अपने ऋण का भुगतान करने में असफल रहें है व प्रार्थी टाइगर होम फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा अप्रार्थी/गारन्टर को अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी टाइगर होम फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड की ऋण राशि का भुगतान नहीं किया गया है। पत्रावली में शामिल दस्तावेजात के अवलोकन से जाहिर है कि अप्रार्थीगण, प्रार्थी टाइगर होम फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के साथ हुये अनुबन्ध के अनुसार ऋण राशि को चुकाने में विफल रहें है। अतः अप्रार्थीगण/ऋणी, गारन्टर को व्यक्तिक्रमी मानते हुये प्रार्थी टाइगर होम फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रश्नगत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा सिक्वोरिटाईजेशन एण्ड रिक्न्स्ट्रकशन ऑफ फाइनेन्शियल एसेट्स एण्ड एनफॉसमेंट ऑफ सिक्वोरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये बंधक रखी गई सम्पत्ति आवासीय भूखण्ड संख्या 410, गांव गोठडा, तहसील खेतडी, जिला झुंझुनूं (राजस्थान) का हिस्सा है, क्षेत्रफल 1100.66 वर्ग गज/920.26 वर्ग मीटर जिसकी सीमाये इस प्रकार है:- पूर्व दिशा मे गंगा राम की भूमि, पश्चिम दिशा मे आम रास्ता, उत्तर दिशा मे आम रास्ता, दक्षिण दिशा मे गिफ्टर सम्पत्ति है का पजेशन प्रार्थी टाइगर होम फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड को जरिये संबंधित पुलिस थाना की इमदाद से प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, झुंझुनूं को प्रेषित कर लेख है कि प्रार्थी टाइगर होम फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के खर्च पर उनकी आवश्यकतानुसार चाहे जाने पर पुलिस सहायता उपलब्ध करावे।

आदेश आज दिनांक 16.03.2026 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(डॉ० अरुण गर्ग)
जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनूं
जिला कलक्टर झुंझुनूं